भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1656
दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

बाल कल्याण पैनल

1656. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाल कल्याण पैनल के सदस्यों के लिए नए नियम बनाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन नियमों से किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पहलुओं में कई बदलाव हुए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सीडब्ल्यूसी के सदस्य सरकारी अधिकारियों के समकक्ष हैं; और
(ङ) यदि हां, तो क्या ये सदस्य पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं, आवास आदि के लिए भी पात्र हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग): किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) (2021 में यथा संशोधित) में बाल कल्याण समिति को देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों से संबंधित मामलों पर बच्चों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 27 के तहत, राज्य सरकार देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का गठन करेगी। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियमावली, 2022 में बाल कल्याण समिति के सदस्यों की संरचना और योग्यता से संबंधित नियम 15 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

प्रधान नियमों में, नियम 15 में, -

(i) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) अध्यक्ष और सदस्यों की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक और पैंसठ वर्ष से अधिक नहीं होगी और उनके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास में डिग्री या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा होगी और वे सात वर्षों से बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न रहे हों या बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास में डिग्री या अन्यथा सक्षम बच्चों के लिए विशेष शिक्षा सहित एक प्रोफेशनल हों।";

(ii) उप-नियम (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि इस उप-नियम में निहित कुछ भी सदस्य के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने की स्थिति में एक बाधा नहीं होगा";

(iii) उप-नियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(4क) समिति के अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति फॉर्म 49 के अनुसार, यह प्रमाणित करते हुए एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि आवेदक अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा 4क में निर्धारित किसी भी शर्त से वर्जित नहीं है। तत्पश्चात उपयुक्त सरकार मानदंड के अनुसार उसका सत्यापन करेगी।

(4ख) विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठन से जुड़ा कोई व्यक्ति समिति का अध्यक्ष या सदस्य बनने के योग्य नहीं होगा।

(4ग) किसी भी गैर-सरकारी संगठन या किसी संगठन में अधिनियम के कार्यान्वयन में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, यदि ऐसे कार्य करता है जो समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन में हितों के टकराव का कारण बन सकता है, समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: संदेह को दूर करने के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि, इसमें समिति के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति, किंतु इतने तक सीमित नहीं, शामिल हो सकती है:

(क) परिवार का कोई भी सदस्य किसी गैर-सरकारी संगठन का सदस्य है;

(ख) निकट संबंधी किसी गैर-सरकारी संगठन का सदस्य है;

(ग) बचाव और पुनर्वास के लिए किसी जिले में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों या व्यक्तियों के मामले;

(घ) बाल देखभाल संस्थान चलाने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधि व्यक्ति या किसी गैर-सरकारी संगठन के बोर्ड या ट्रस्ट का सदस्य।

(4घ) यदि समिति के अध्यक्ष या सदस्य के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है, तो राज्य सरकार एक जांच आयोजित करेगी और यदि आवश्यक हो, तो उस व्यक्ति को जांच लंबित होने पर तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। जांच दो महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी और राज्य सरकार जांच पूरी होने के एक महीने के भीतर उचित कार्रवाई कर सकती है।

(4ङ) राज्य सरकार द्वारा जांच किए बिना और उस व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिए बिना समिति के किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को हटाया नहीं जाएगा।

(4च) यदि संबंधित अध्यक्ष या सदस्य के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है, तो आवश्यक होने पर, सरकार संबंधित अध्यक्ष या सदस्य को तत्काल लंबित जांच के लिए, उपयुक्त अवधि के लिए, या मामले में जांच करने और सुनवाई का अवसर देने के बाद निलंबित कर सकती है।"

(घ) : जी नहीं।

(ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

******